

राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग राज० जयपुर

क्रमांक: प.10(न.पा.)(गठन)(सीमावृद्धि)डीएलबी / 24 / 118

दिनांक: 18/12/2024


अधिसूचना

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (i) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) सपटित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर परिषद नीमकाथाना की वर्तमान सीमा क्षेत्र में सम्मिलित किए जाने वाले नवीन सीमा क्षेत्र का विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र.सं.	जिला	नगर परिषद का नाम	नगर परिषद में शामिल ग्राम पंचायत/राजस्व ग्राम की सीमा क्षेत्र का विवरण एवं जनसंख्या
01.	नीमकाथाना	नीमकाथाना	ग्राम पंचायत गोड़ावास का राजस्व ग्राम गोड़ावास, राजनगर, नीमकाथाना ग्रामीण, ग्राम पंचायत हीरानगर का राजस्व ग्राम हीरानगर, ग्राम पंचायत कुरबड़ा का राजस्व ग्राम कुरबड़ा, मालनगर, बृजसिंहवास का सम्पूर्ण क्षेत्र जिसकी जनसंख्या 15,796 है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है ।

राज्यपाल की आज्ञा से,



( कुमार पाल गौतम )

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव